सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित/2026
नीति परिपत्र सं.9.3.21/ 2026 दिनांक 19th जून, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल सं. CDMDIV-25/13/2026-CMD Division (कम्प्युटर सं. 318654 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Public Funded/2026
Policy Circular No.9.3.21/2026 dated 19th June, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. CDMDIV-25/13/2026-CMD Division (Comp No. 318654)}

विषय: अप्रैल 2017 के बाद निष्पादित ईपीसी परियोजनाओं में संविदा करार की धारा 19.10 के अंतर्गत मूल्य समायोजन की गणना के लिए A_0 (आधार सूचकांक) और A_1 (वर्तमान सूचकांक) के मानों के संबंध में स्पष्टीकरण।

Sub.: Clarification regarding the Values of A_0 (Base Index) and A_1 (Current Index) for calculation of Price Adjustment under Clause 19.10 of the Contract Agreement in EPC Projects executed after April 2017.

संदर्भ: 31.10.2023 तक अद्यतन मानक ईपीसी करार मार्च 2019

Ref.: Standard EPC Agreement March 2019 updated till 31.10.2023.

मानक ईपीसी करार (मार्च 2019, 31.10.2023 तक अद्यतन) के संदर्भ में, यह देखा गया है कि प्लांट, मशीनरी और स्पेयर्स घटक के मूल्य समायोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) असंगतता दिखाता है। जहां आधार सूचकांक (A_0) "खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी का निर्माण" श्रेणी से लिया जा रहा है, वर्तमान सूचकांक (A_1) "निर्माण मशीनरी" से माना जा रहा है। सूचकांक स्रोतों में यह भिन्नता मूल्य समायोजन की गणना में अस्पष्टता पैदा कर रही है।

With reference to the Standard EPC Agreement (March 2019, updated up to 31.10.2023), it has been observed that the Wholesale Price Index (WPI) used for Price Adjustment of the Plant, Machinery and Spares Component shows inconsistency. While the Base Index (A_0) is being taken from the category "Manufacture of Machinery for Mining, Quarrying and Construction," the Current Index (A_1) is being considered from "Construction Machinery." This variation in Index sources is leading to ambiguity in the calculation of Price Adjustment.

2. इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वस्तु "निर्माण मशीनरी" के लिए डब्ल्यूपीआई, 2004-05 आधार वर्ष वाली डब्ल्यूपीआई श्रृंखला के तहत उपलब्ध था; हालाँकि, 2011-12 आधार वर्ष वाली संशोधित श्रृंखला में इसे बंद कर दिया गया है। इसके विपरीत, वस्तु "खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी का निर्माण" के लिए डब्ल्यूपीआई 2011-12 आधार वर्ष श्रृंखला में उपलब्ध है, जो अप्रैल 2017 से प्रभावी है।

In this regard, it is to be noted that WPI for the commodity "Construction Machinery" was available under WPI series with Base Year 2004-05; however, the same has been discontinued in the revised series with base year 2011-12. In contrast, WPI for the commodity "Manufacture of Machinery for Mining, Quarrying and Construction" is available in 2011-12 Base Year series, which has been in effect since April 2017.

Contd.....2/-

3. तदनुसार, एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि प्लांट, मशीनरी और स्पेयर्स के घटक पर मूल्य समायोजन (अर्थात पीए) की गणना के प्रयोजन के लिए, डबल्यूपीआई अर्थात् A_0 (आधार सूचकांक) और A_1 (वर्तमान सूचकांक) को वस्तु समूह "खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी का निर्माण" के लिए अप्रैल 2017 से प्रभावी, एक ही श्रृंखला (अर्थात् आधार वर्ष 2011-12) से लिया जाएगा।

Accordingly, it is hereby clarified that for the purpose of calculating Price Adjustment on the component of Plant, Machinery and Spares (i.e. PA), the WPI viz. A_0 (Base Index) and A_1 (Current Index) shall be taken from the same series (i.e. Base Year 2011-12) for the commodity group "Manufacture of Machinery for Mining, Quarrying and Construction," effective from April 2017.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

19/06/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.